कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(भवन/सी)/2018 दिनांकः अक्टूबर 19, 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता(भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकारण,
वाराणसी।

विषयः ओनर–श्री सर्वजीत व जगदीश पुत्रगण श्री काशीनाथ व डेवलेपर्स–मेसर्स–अवध बिल्डकॉन प्रो0–सुशील कुमार राय पुत्र श्री अशोक कुमार राय द्वारा आराजी नं0–5, मौजा हरहुआ, परगना–अठगावा, तहसील–पिण्ड्रा, वाराणसी पर प्रस्तावित कामर्शियल/ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संदर्भः आपका पत्रांकः 2/18/व्या0/वि0प्रा0/विन्यास/2018–19 दिनांकः 15.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण एवं प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण अग्निशमन सुरक्षा एवं जीवरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा किया गया प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 18.10.2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

A. भवन की संरचनाः–

AREA CHART

1.	TOTAL PLOT =	2140.00 sqm
2.	COVEDED AREA OF BASEMENT N0.1(PARKING) =	823.82 sqm
3.	COVEDED AREA OF BASEMENT N0.2(PARKING) =	823.82 sqm
4.	COVEDED AREA ON GROUND FLOOR =	823.82 sqm
	(COVEDED AREA ON GROUND FLOOR COMMERCIAL) =	729.16 sqm
5.	COVEDED IN FIRST FLOOR EXCLUDING LEFT AREA=	747.36 sqm
	LEFT AREA=	747.36 sqm
6.	COVEDED AREA ON 1ST FLOOR (COMMERCIAL)=	637.38 sqm
7.	COVEDED AREA ON 1ST FLOOR (FLAT)=	109.98 sqm
8.	COVEDED AREA ON SECOND FLOOR(FLAT)=	740.56 sqm
9.	COVEDED AREA ON THIRD FLOOR(FLAT)=	740.56 sqm
10.	COVEDED AREA ON FOURTH FLOOR(FLAT)=	740.56 sqm
11.	COVEDED AREA ON FIFTH FLOOR(FLAT)=	740.56 sqm
12.	COVEDED AREA ON SIXTH FLOOR(FLAT)=	740.56 sqm
13.	TOTAL COVEDED AREA FOR F.A.R. =	5273.98 sqm
14.	MUMMTY & MATCHINE ROOM=	63.92 sqm.
15.	WATER TANK=	25.26 sqm.

CFO
VNS

B. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः– मानचित्र में भवन के भूतल एवं प्रथम तल का अधिभोग एन.बी.सी. 2016 की मर्केन्टाइल श्रेणी एवं द्वितीय तल से छठे तल तक आवासीय भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। भवन का टाईप– 1 एवं 2 है।

C. ढांचागत व्यवस्थाः–

1. **पहुँच मार्गः–** मानचित्र में भवन के सामने रोड की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक प्रस्तावित है।
2. **प्रवेश द्वार की चौड़ाई–** मानचित्र में भवन का प्रवेश द्वार 06.79 मीटर प्रस्तावित है।

––– 2 पर

Scanned by CamScanner

3. **सेटबैक**:– मानचित्र में प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:–

ए– अग्रभाग– 08.00 मीटर
बी– पृष्ठभाग– 08.00 मीटर
सी– पार्श्व प्रथम– 08.00 मीटर
डी– पार्श्व द्वितीय– 08.00 मीटर

सैटबैक भवन विनियमावली–2008/2016 के मानकों के अनुसार है, सैटबैक में किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. **निकास मार्ग**:– मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित भवन में 02 मीटर चौड़ाई का 02 स्टेयर केस बनाया जाना है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रस्तावित भवन के वं बेसमेन्ट से ऊपर आनेवाली स्टेयर केस पेरीफेरी पर खुले तथा छठवें तल से सीधे बेसमेन्ट में आने वाली स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाय। बेसमेन्ट का निर्माण व प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के पार्ट III के क्लाज 12.9 के अनुरुप किया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट–2 से एक निकास मार्ग ऐसा बनाया जाय, जो बिना बेसमेन्ट–1 में जाये बाहर भूतल पर निकला जा सके। रैम्प का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया– 2016 के पार्ट III के क्लाज 4.6.1.3(सी) के अनुरुप किया जाना आवश्यक होगा।

5. **भवन की ऊँचाई**– मानचित्र में भवन की उचाई 23.96 मीटर प्रस्तावित है।

6. **रिफ्यूज एरिया का विवरण**:– रिफ्यूज एरिया हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 पार्ट IV के क्लाज 4.12.3 के मानक का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

D. <u>प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली</u>:–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:–

1. **भूमिगत टैंक**:–प्रस्तावित भवन में 1,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है।
2. **पम्प**:–प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक के पास इलेक्ट्रिक पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0– एक अदद, डीजल पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0–एक अदद व जॉकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 –एक अदद पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक है।
3. **होजरील**:– प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.–3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
4. **वेट राइजर सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन में वेट राइजर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
5. **यार्ड हाइड्रेन्ट**:– प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रांच एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.– 13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. **हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम**:– प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया– 2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. **स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक है।
8. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**:–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
9. **टैरेस टैंक**:–प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

CFO
VNS

—— 3 पर

Scanned by CamScanner

10. **<u>प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)</u>**:–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–2190:2010 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. **<u>एक्जिट साइनेज</u>**:–प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
12. **<u>पी0ए0 सिस्टम</u>**:–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का किया जाना आवश्यक है।
13. प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
14. बेसमेन्ट से धुऑ निकास हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 पार्ट–IV के क्लाज 4.6.2 के मानकों के अनुसार मेकैनिकल वेन्टीलेशन में मेकैनिकल एक्सट्रैक्टर व एयर इन्टेक मेकैनिकल साफ्ट के माध्यम से किया जाय।
15. प्रश्नगत भवन निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के पार्ट IV के एनेक्स–डी एवं ई का पालन अनिवार्य होगा।
16. अनुमोदित मानचित्र में विचलन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की दशा में निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार ओनर–श्री सर्वजीत व जगदीश पुत्रगण श्री काशीनाथ व डेवलपर्स–मेसर्स–अवध बिल्डकॉन प्रो0–सुशील कुमार राय पुत्र श्री अशोक कुमार राय द्वारा आराजी नं0–5, मौजा हरहुआ, परगना–अठगावा, तहसील–पिण्ड्रा, वाराणसी पर प्रस्तावित कामर्शियल /ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक– अनुमोदित मानचित्र।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

19 OCT 2018

<u>प्रतिलिपि</u>:–

1. अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक: 18.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. डेवलेपर्स–मेसर्स–अवध बिल्डकॉन प्रो0–सुशील कुमार राय पुत्र श्री अशोक कुमार राय को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

Scanned by CamScanner